namely, Shri M. K. Moitra, Shri K. K. Basu, Shri V. P. Nayar, Shrimati Renu Chakravartty, Shri A. K. Gopalan, Shri M. S. Gurupadaswamy, Shri Raghavachari, Shri Ramji Verma, Dr. Jaisoorya and Shri Sadhan Gupta.

Those against will kindly stand in their seats. I see a large number. So, the motion is lost by an overwhelming majority.

The motion was negatived.

Shri Sadhan Gupta: You are against democracy for employees!

Mr. Deputy-Speaker: That is a different matter. Here the issue is limited, namely, whether the motion is lost or accepted.

The other motions have already been disposed of.

HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE BILL—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the discussion of the Hindu Adoptions and Maintenance Bill.

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ-मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है कि अब हिन्दू समाज लड़की को भी गोद ले सकेगा और लड़की को भी अपने गोद लेने वाले पिता की सम्पत्ति में उस की जाई हुई पुत्री के समान अधिकार होगा । इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं इस को सहर्ष स्वीकार करती हूं ।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदस्यों को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिये और इस बिल को पास कर देना चाहिये । मैं इस बात में तो सेंटिमेंटल नहीं हूं, परन्तु यह अवश्य कहना चाहती हूं कि जैसीकि कहावत है कि पंच परमेश्वर होता है, पंचों की जो आवाज होती है उस में भगवान वास करता है । जब कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों ने इस बिल पर अच्छी तरह से विचार कर के और संशोधन कर के इस को सर्वसम्मति से पास कर दिया तो मैं उन के निर्णय के विपरीत कहने का साहस नहीं कर सकती । दूसरे सदन में बहुत बड़े बड़े कानून के ज्ञाता हैं और धुरंधर पंडित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर यहां तो दावा है कि यहां और भी ज्यादा पंडित हैं ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : उन के निर्णय में त्रुटि निकालना या छिद्र देखना मैं समझती हूं कि सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : तो आप इस हाउस को बन्द कर दें ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : परन्तु फिर भी, इस बिल को पढ़ कर मेरे मन में कई शंकायें उठती हैं और मेरा यह अधिकार है कि मैं उन को माननीय न्याय मंत्री जी के सामने रक्खूं और उन से कहूं कि वह उन को दूर करें और इस बिल में जो नियम उन्हों ने बनाये हैं उन का सही सही अभिप्राय मुझ को समझा दें ।

एक जो सब से पहला नियम है, जिस के सम्बन्ध में मैं ने संशोधन दिया है, यह है कि अधिक से अधिक १५ वर्ष की आयु तक के बालक को गोद लिया जा सकता है । मैं सेंटिमेंटल नहीं हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि १५ वर्ष तक के बालक को गोद लेने का नियम जो इस कानून में रक्खा गया है वह कामनसेन्स, प्राकृतिक नियम और सासारिक विचार, इन तीनों विचारों से अनुचित दिखाई देता है । गोद लेने का जो शब्द है, वह ऐसा शब्द है जिस से ऐसा मालूम होता है कि ऐसे बच्चे को गोद लिया जाय जिस को माता अपनी गोद में उठा सके । माता पिता जब बच्चे के लिये कष्ट उठाते हैं, उस का लालन पालन करते हैं और जब वह तोतली जबान से माता कहता है, जब कोमल और मधुर शब्द बोलता है, तभी माता पिता के हृदय में उस के लिये प्रेम उमड़ता है । प्रेम वास्तव में किसी बच्चे के पेट में आने से नहीं होता है बल्कि उस के प्रति प्रेम माता पिता

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

के पालन पोषण करने से उत्पन्न होता है । हमारे पुराने विद्वानों ने कहा है कि छोटी उम्र के बच्चों को, पांच वर्ष की आयु तक तो प्रेम से रखना चाहिये, पांच वर्ष से ले कर दस वर्ष की आयु तक उन को माता पिता ताड़ना में रक्खें और जब उस की आयु दस वर्ष के ऊपर हो जाय तो माता पिता को उस के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिये । ऐसी स्थिति में उस वयस्क व्यक्ति को जिस को बालक नहीं कहा जा सकता यदि कोई माता पिता गोद लें तो वह बच्चा भी कैसे उन माता पिता को अपना माता पिता के समान प्रेम कर सकता है ?

फिर यह भी हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब बालक पैदा होता है तो उस के जन्म से ही संस्कार बनने लगते हैं, उस का मुंडन होता है, अन्न प्राशन होता है, यज्ञोपवीत होता है । हमारे न्याय मंत्री जी जानते हैं कि कानून के मुताबिक जो व्यक्ति यह सब संस्कार करता है वही वास्तव में उस का पिता होता है । मैं मनु को मानती हूं कि यह अधिकतर ब्राह्मणों से ही ताल्लुक रखता है, फिर भी मैं ने देखा है कि एक बड़े मुकदमे में दो आदमियों में से वही आदमी बच्चे का पिता समझा गया जिस ने उस का यज्ञोपवीत संस्कार किया था । जब हम १५ वर्ष के बच्चे को गोद लेते हैं, तो उस के यह सभी संस्कार हो चुके होते हैं, नये माता पिता के लिये कोई संस्कार नहीं बचता है । यही संस्कार होते हैं जो उस बच्चे को नये माता पिता का सम्बन्धी बनाते हैं उसको अपने गोत्र में ले जाते हैं और उस बच्चे को इस बात का अधिकारी बनाते हैं कि जब उस के नये माता पिता मरें तो पिंड-दान करे और क्रियाकर्म करे ।

मैं कहती हूं कि जिस वातावरण में पल कर वह बच्चा इतना बड़ा हुआ, जहां उस की शिक्षा हुई, जहां उस का चरित्र और स्वभाव पक्का हुआ, विचार उस का बन गया, उस की पसन्द और नापसन्द बन गई, तब दूसरी जगह जा कर नये माता पिता न उस को अपना सकते हैं और न वह ही उन को अपना माता पिता मान सकता है । यदि छोटा बच्चा गोद लिया जाय तो उस को माता पिता अपने सांचे में डाल सकते हैं, बड़े बच्चे को माता पिता अपने सांचे में नहीं डाल सकते और न वह उस को अपना समझ सकते हैं । यदि केवल सलिये बच्चा गोद लिया जाता है कि कोई अपना तमाम धन उस को गोद ले कर दे दे तो उस के लिये हमारे कानून में यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी आदमी किसी को विल कर के अपना धन दे सकता है । हमारी एक बहन ने कहा कि अगर भतीजा हो और पन्द्रह वर्ष के अन्दर हो, उस का बाप जीवित न हो तो भाई गोद ले ले, मेरा यह कहना है कि उसे गोद लेने की क्या जरूरत है ? चाचा भी तो पिता के समान ही होता है, भतीजे को भी क्रिया कर्म करने का अधिकार है, अगर कोई चाहे तो विल कर के भतीजे को अपनी सम्पत्ति भी दे सकता है ।

इसलिये इन सब बातों को देख कर मेरी तो राय यह है कि अधिक से अधिक छः या सात वर्ष तक के बालक को गोद लिया जाय । छः सात वर्ष तक के बालक को माता पिता अपने संचालन में रख सकते हैं और जो माता पिता कष्ट उठा कर बच्चे को १५ वर्ष का करेंगे वह उस को पूरी तरह से प्रेम करेंगे । १५ वर्ष का पुत्र तो कमाऊ पूत कहलाता है । एक व्यक्ति ने बीज बो कर पेड़ को बड़ा किया लेकिन जब उस की छांह में बैठने का समय आया तब वह उसे गोद दे दे अगर वही न रह जाय तो कैसे काम चलेगा क्योंकि उसे तो उस ने दूसरे को दे दिया । १५ वर्ष के बच्चे को गोद दे देने के माने तो यह हैं कि अपने बच्चे को दूसरे को गोद दे दिया महज इस लालच से कि दूसरे का धन मिल जाय । ऐसी स्थिति

में पुत्र को ही हमेशा यही खयाल बना रहेगा कि कब नये माता पिता का स्वर्गवास हो जाय और उन की प्रापर्टी उस को मिल जाय ।

इस बिल में यह भी कहा गया है :

"An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of the adoption and from such date....."

मेरा सुझाव है कि यहां पर राइट्स होना चाहिये और मैं कहती हूं कि यह बिल्कुल ठीक है

"all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in adoptive family."

मेरा यह विचार है कि १५ वर्ष का जो बच्चा होगा वह अपनी माता पिता की फ़ैमिली को छोड़ कर जहां पर कि उस का सारा बचपन बीता और उस ने युवावस्था में पदार्पण किया, जहां पर उस का प्रेम बन्धन होगा, कैसे ऐडाप्टेड फैमिली का बन सकेगा । यह चीज मेरी समझ में नहीं आती ।

दूसरी बात इस में यह कही गई है :

If the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at time of adoption;

मैं इस में यह बढ़ाना चाहती हूं कि:

after "son's son's son" *insert* "*or* daughter's son".

उपाध्यक्ष महोदय, हम ने सकसेशन बिल पास किया है, लड़की और लड़के को आप समान अधिकार देना चाहते हैं और आप ने दिये भी हैं, सम्पत्ति में आप ने लड़कों का हिस्सा रखा है और आप हर पहलू से हिन्दू समाज को सुधारना चाहते हैं जब ये सारी बातें हैं तो क्या कारण है कि आप यहां पर लड़की के लड़के को शामिल नहीं कर रहे हैं । आप ने ज्वायंट हिन्दू फैमिली खत्म कर दी है, आप ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का इरादा किया हुआ है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब लड़की का लड़का मौजूद है, तब आप गोद लेने की इजाजत क्यों देते हैं जबकि पड़पोता तक अगर मौजूद हो तो मनुष्य लड़का गोद नहीं ले सकता लेकिन लड़की के लड़के की मौजूदगी में लड़का को गोद लेने की इजाजत देते हैं । जबकि वह क्रियाकर्म भी कर सकता है और नाना की सम्पत्ति का अधिकारी भी है हमारे हिन्दू शास्त्र के मुताबिक तो क्या कारण है कि पिता उस को गोद न ले ।

आगे चल कर आप ने यह लिखा है कि

If the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least twenty-one years older than the person to be adopted.

उपाध्यक्ष महोदय, इस को भी मैं बिल्कुल गलत समझती हूं अगर यहां पर यह होता कि छः या सात बरस की लड़की को एडाप्ट किया जा सकता है तब तो यह ठीक था । लेकिन जब यह लिख दिया जाता है कि १५ बरस की लड़की को भी एडाप्ट किया जा सकता है और ऐसी हालत में जबकि बीवी मर गई है, बेवा न हो, शादी न की हो तो यह ठीक नहीं है । हम ने हिन्दु समाज में देखा है कि ३५-३५ और ३६-३६ बरस के आदमी १५-१५ बरस की लड़की के साथ शादी करते हैं । अब आप यहां पर यह रख रहे हैं कि ३५ बरस का आदमी १५ बरस की लड़की को एडाप्ट कर सकता है, यह ठीक नहीं है । अगर आप यहां छः सात बरस की लिमिट रख दें तो ठीक होगा । लेकिन अगर आप ने यह रखा कि ३५ बरस

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

का आदमी १५ बरस की लड़की को एडाप्ट कर सकता है तो क्या यह उचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह जरूरी है कि वह १५ बरस की लड़की को ही एडाप्ट करे ?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : आगे चल कर आप ने लिखा है

"any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth".

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मुझे ऐसा लगता है कि इस को बिना सोचे समझे रख दिया गया है । जब आप ने किसी को गोद दे दिया है क्या वजह है कि उस का हक़ अपने बाप की प्रापर्टी में बना रहे । इस की जगह पर मैं यह चाहती हूं कि यह इनसर्ट कर दिया जाय ।

any property which vested in the adopted child before the adoption shall not continue to vest in such person.

और पीछे का जो हिस्सा है इस को उड़ा दिया जाय । जब उस का कोई हक़ प्रापर्टी में नहीं रहेगा तो उस की ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं रह जायगी, उस का कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जायगा । जैसे यह क्लाज़ अब है उस का मतलब तो यह है कि बाप की प्रापर्टी में भी उस का हक़ बना रहे और जिस ने एडाप्ट किया है उस की प्रापर्टी में भी यह तो एक झगड़े की जड़ है, इस से तो लड़ाई झगड़े ही बढ़ेंगे । यह जरूरी तो नहीं है कि जिस लड़के को गोद लिया जायगा उस का कोई भाई ही नहीं होगा । उस के दो तीन और भी भाई हो सकते हैं । जो ज़िम्मेदारी उठाएंगे—गोद दिये हुए लड़के के बीच में बने रहने से दोनों कुटुम्बों में आपस में झगड़ा बढ़ेगा । तो जिस को एक बार गोद दे दिया उस का हक़ उस के बाप की प्रापर्टी में नहीं रहना चाहिये । इस में आगे चल कर कहा गया है कि एक जो लड़का है उस को दो या तीन मनुष्यों को एडाप्शन में नहीं दिया जा सकता है । जब आप ने इस कानून को बनाया है तो आप बतायें कि क्या आप ने दो मनुष्य बना दिये हैं या नहीं । बाप की प्रापर्टी में भी उस का हक़ होगा और एडाप्टिड फादर की प्रापर्टी में भी उस का हक़ होगा । इस तरह से उस को तीसरे मनुष्य को भी दिया जा सकेगा । इस तरह से उस का तीन तीन जगह पर भी हक़ बना रहेगा और लोग बालक गोद देने का एक व्यवसाय बना लेंगे और इस से फायदा उठाना शुरू कर देंगे ।

जो जो सुधार इस बिल में मैं ने करने के लिये बताये हैं यदि वे कर लिये जायें तो ठीक रहेगा । दूसरा हिस्सा जो मेनटेंनेंस के बारे में है, वह बिल्कुल ठीक है और मुझे उस से कोई एतराज़ नहीं है । यदि इस बिल में सुधार कर के उस को पास किया गया तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा । लड़की को गोद लेने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जब आज हम लड़के और लड़की को समान समझते हैं तो जिस तरह से लड़के को गोद लिया जा सकता है उसी तरह से लड़की को भी गोद लिया जा सकता है । परन्तु यह जो लड़की के लिये १५ बरस की आयु रखी गई है, यह मुझे बिल्कुल नापसन्द है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले जमाने में औरतें अपनी उम्र से भी बड़ी उम्र के लड़कों को गोद ले लिया करती थीं । तो उस बात को इस बिल के द्वारा उन्हों ने कहां मिटाया है उस चीज़ को तो आप ने अभी भी कायम रखा है । अब औरतें नहीं गोद लेंगी तो पुरुष

गोद ले लेंगे । इस वास्ते मैं चाहती हूं कि जो जो तरमीमें मैं ने करने के लिये कही हैं, उनको मंजूर करने के बाद ही इस बिल को पास किया जाना चाहिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते,

ना धर्मो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय ने पिछला इतिहास बताते हुए हिन्दू कोड बिल का यह अन्तिम चरण बताया है और इस को हिन्दू कोड का अन्तिम वार हिन्दू धर्म शास्त्र पर और हिन्दू जाति पर बताया है । मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्तिम दिनों में जबकि यह सदन स्वयं समाप्त होने जा रहा है शक्तिशाली दल का जनता के साथ और विशेष कर हिन्दू समाज के साथ यह एक बड़ा भारी विश्वासघात है । मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि हमारे सदन के नेता और प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं अपने चुनाव क्षेत्र में इस बात को अनुभव किया और उन को मालूम पड़ा कि जनता हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध है और उन्हों ने जनता को आश्वासन दिया था कि वह जनता को भावना के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून उस पर नहीं लादेंगे । आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों द्वारा इस का विरोध किये जाने के बावजूद और जबकि विशेष कर स्वयं इस सदन के सदस्य भी यहां पूरी संख्या में उपस्थित न हों और उन की संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही हो ऐसा आवश्यक विधेयक हमारे सिर पर और जनता के सिर पर लादा जा रहा है । इस चीज को मैं सब से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं । इस से भी बड़ा खेद मेरे मन में हमारे वर्तमान विधि मंत्री के लिये हो रहा है जिन के भाग्य में ये चारों के चारों विधेयक पड़ गये और वह चाहें या न चाहें उन के सिर पर यह चीज आ पड़ी जैसेकि द्रौपदी के नग्न होते समय कौरवों की सभा में द्रोण और भीष्म भी धर्मानुकूल कुछ नहीं कर सके और अन्त में उन के एक एक रोम में बाण लगे और उन को उस का उत्तर देना पड़ा । मैं समझता हूं कि एक न एक दिन और वह दिन दूर नहीं जबकि कांग्रेस को भी इस के लिये पश्चाताप करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस के अन्त को उस को बार बार याद दिलाना, यह तो कोई ठीक बात नहीं है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : अन्त जिस को याद नहीं रहता है, वह सब पाप करता है । जिस पुरुष को अपनी मृत्यु का स्मरण है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता है —

उपाध्यक्ष महोदय : हर वक्त मृत्यु ही सामने रहे तो काम कैसे चले ।

15 rs.

श्री नन्दलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यह कृत्य ही मृत्यु लाने वाला है । यदि मृत्यु का भय न हो तो एडाप्शन की आवश्यकता कभी न पड़े ।

हमारे विधि मंत्री महोदय ने बार बार दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का नाम उल्लेख किया है । उन्हों ने एक केस का भी उल्लेख किया, जिस के आधार पर उन्हों ने अपने इस कार्य के औचित्य को सिद्ध करना चाहा, हालांकि साथ ही उन्हों ने स्वयं ही यह भी कह दिया कि अपील में वह केस नष्ट हो गया और एपिलेट अथारिटी ने उस को स्वीकार नहीं किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एपिलेट अथारिटी अथवा कोलब्रुक से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं तो श्री विधि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह केवल वितंडावाद के आधार पर चलते हैं या वाद के किसी आधार को स्वीकार करते हैं । यदि वह दत्तक-मीमांसा और दत्तक

[श्री नन्दलाल शर्मा]

चंद्रिका के आधार पर चलना चाहते हैं, तब तो उन को उन ग्रंथों को कोट करने का अधिकार है, लेकिन तथ्य यह है कि उन की ९९ प्रतिशत बातों का आप विरोध करते हैं, परन्तु कन्या को दत्तक ग्रहण करना आप उसमें से सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, जिस को दायभाग स्कूल ने स्वीकार नहीं किया, मिताक्षरा स्कूल ने स्वीकार नहीं किया और भारत के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक हिन्दू जाति ने स्वीकार नहीं किया । दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका में इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, वह वहां के लिये की गई है, जहां इस प्रकार की परम्परा विद्यमान हो और उस परम्परा की रक्षा के लिये ही इस की आज्ञा दी है ।

मंत्री महोदय ने महाराज दशरथ का भी नाम लिया । इस के लिये ग्रन्थों में वर्णन है :

कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत् ।
अपत्यकृत्तिकां राज्ञे रोमपादाय यां ददौ ।।

उन्हों ने महाराज रोमपाद को शान्ता दत्तक के रूप में दिये जाने का उल्लेख किया, लेकिन अगर वह हिन्दू इतिहास से यह सिद्ध कर सकें कि शान्ता रोमपाद की दत्तक थी और उस की दत्तक के रूप में ट्रीट किया गया, तो न केवल इस विषय में बल्कि बाकी सब विषयों में भी हम आप से हार स्वीकार करने को तैयार होंगे । प्राचीन हिन्दू धर्म-शास्त्रों में कन्या के दत्तक-ग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कन्या सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी समझी जाती है । एक विशेष बात थी, जिस के कारण शान्ता रोमपाद के यहां गई । ज्योतिषियों ने बताया था कि यदि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी दिव्य ऋषि से कर देंगे, तो उन को पुत्र की प्राप्ति होगी । चूंकि दशरथ और रोमपाद अभिन्न मित्र थे, इसलिये शान्ता को रोमपाद के यहां भेज दिया गया, परन्तु वहां पर उस का रोमपाद के राज्य या सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । बाद में जब ऋष्यश्रंग के साथ उस का विवाह कर दिया गया, तो रोमपाद को पुत्र की प्राप्ति हुई । इन ऐतिहासिक तथ्यों से कोई इन्कार नहीं कर सकता है और यह कहना नितान्त गलत है कि रोमपाद ने शान्ता को दत्तक के रूप में अपने यहां रखा ।

फ़र्स्ट चैप्टर की धारा १ से ले कर ४ तक के बारे में आप ने कहा है कि ये तो वही धारायें हैं, जोकि पहले थीं । मैं समझता हूं कि जो ग़लती आप पहले एक बार कर चुके हैं, उस को आप बार बार दोहरा रहे हैं । न्यूयार्क में प्रकाशित एक पुस्तक रिलिजस लीडर्ज को यहां पर पुनः छपवाया गया और उस के परिणामस्वरूप आप की क्या दुर्दशा हुई और आप सभी के सभी क्षमा मांगते फिरे, नाक रगड़ते फिरे । इस की तुलना में हिन्दू जाति कितनी शान्त है । आप खुल्लम-खुल्ला यह कहने का दुस्साहस रखते हैं कि हम सभी टैक्स्ट्स इंटरप्रैटेशन्ज और ट्रैडीशन्ज को रिपील करते हैं और हिन्दू जाति मुरदे के समान आप को सहन कर रही है । मैं यहां पर स्पष्ट तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि शास्त्र-हत्या का पाप आप के सिर पर है, सदाचार-हत्या का पाप आप के सिर पर है गो-हत्या के पाप के भागी आप हैं, मातृ-भूमि की हत्या के पाप की ज़िम्मेदारी आप पर है, जिस का फल किसी न किसी दिन आप को अवश्य मिलने वाला है । आज आप को पता नहीं चलता है कि ईश्वर है या नहीं । आप के अन्यायपूर्ण कृत्यों को हिन्दू जाति शान्ति से सहन करती है और आप उस की इच्छा के विरुद्ध निरन्तर एक के बाद एक कानून उस के सिर पर लाद रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इतने कोप में आ कर आप नहीं देना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : इलैक्शन नजदीक आ गये हैं ।

श्री नंद लाल शर्मा : श्रीमान्, मैं आप के धर्मचक्र का सब से बड़ा उपासक हूं, जोकि आप के सिर के ऊपर विराजमान है और इसी कारण से आप जो भी शब्द कहेंगे, उन के आगे सिर झुकाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप को धर्मासन प्राप्त है ।

म निवेदन करूंगा कि :

न छेड़ ऐ नगहते बादे बहारी
राह चल अपनी,
तुझे अठखेलियां सूझी हैं,
यां बेजार बैठे हैं ।

पहले दिन से ले कर आज तक हिन्दू जात के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसके विरुद्ध मैं अपने रोष को प्रकट कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में मैं श्री कैलाश बिहारी लाल के मिनट आफ़ डिसेन्ट के कुछ शब्दों को आप के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

"The principles of Hindu Law, which have been tested on the touch stone of universal morality and applicability and have been found to be sound and if they are progressive and helpful to the cause of advancement of culture and civilization, I see no reason why they should not be incorporated and enacted into a Code of Law intended for the whole of the nation."

आज आप की सारी की सारी शक्ति, सारे का सारा क्रोध हिन्दू जाति के विरुद्ध है । जिन बातों का हिन्दू धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, उस की कोई स्वीकृति नहीं है, उन के ऊपर हिन्दू की मोहर लगा कर उन को हिन्दुओं के सिर पर लादा जा रहा है ।

इस के अतिरिक्त इस बिल के द्वारा दत्तक होम को बीच में से हटा दिया गया है । कहा गया है कि अब उस का विचार करना जरूरी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के गोत्र और कुल को बदलने का अधिकार कौन सी विधि के अनुसार दिया जायगा । हिन्दू धर्मशास्त्र में इस की व्यवस्था कहां है ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्री पाटस्कर तो क्या, उन जैसे और उन से दस गुना बड़े बड़े भी अगर मस्तिष्क इकट्ठे हो जायें, तो भी हिन्दू जाति उन के द्वारा बताये हुए हिन्दू धर्मशास्त्रों के अर्थों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगी । उन को कम से कम यह प्रमाण देना पड़ेगा कि कौन सी विधि के आधार पर आप ने इस विधेयक में बच्चे के गोत्र और कुल को बदलने का अधिकार रखा है ।

एक माननीय सदस्य : अब जात-पात छोड़नी पड़ेगी ।

श्री नंदलाल शर्मा: I am speakinx of Hindu Law

क्लाज ८ में ये शब्द हैं—

"Any female Hindu who—

(a) is of sound mind,

(b) is not a minor, and

(c) is not married, or if married, the marriage has been dissolved or the husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption."

मुझे बड़ा अचम्भा होता है कि हिन्दू जूरिसप्रुडेंस के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान भी नहीं रखा गया है । आखिर अविवाहित लड़की पुत्र-प्राप्ति का अधिकार—कैपेसिटी —कैसे प्राप्त करेगी बिना पुरुष के ? जिस पुरुष के साथ उस का विवाह नहीं हुआ, उस के द्वारा वह पुत्र कैसे प्राप्त कर लेगी

श्री नंद लाल शर्मा

और अगर कर लेगी, तो वह बच्चा किस प्रकार लेजिटिमेट चाइल्ड माना जायगा और अगर लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं माना जायगा, तो वह फिर लीगल एयर कैसे माना जायगा और कौन से गोत्र, कुल से उस का सम्बन्ध होगा ? इन सब बातों का ख्याल न कर के एक अन्धेरखाते की खिचड़ी हिन्दू जाति पर लाद दी गई है और अनमैरिड वोमैन, विडो को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया है ।

माननीय सदस्या, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, ने भी कहा कि ३६ वर्ष का पुरुष या ३६ वर्ष की स्त्री एक पन्द्रह वर्ष के लड़के या पन्द्रह वर्ष की कन्या को गोद में ले सकते हैं । यह बड़े अचम्भे की बात है । पन्द्रह वर्ष की लड़की प्युबर्टी की एज को प्राप्त कर चुकती है । वह ऋतुमती की सीमा को पार कर जाती है । एक ३६ वर्ष के पुरुष के द्वारा, जिस की युवावस्था ढली नहीं होती, जोकि अभी वृद्ध नहीं हुआ होता, उस का एडाप्ट किया जाना जाति और समाज के लिये कितने भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न करेगा, यह समझने की बात है । हम यह नहीं कहते कि सभी के सभी पापी हो गये हैं, लेकिन हम यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि सभी आप जैसे महात्मा हो गये हैं । अगर इस तरह कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उस का भागी कौन रहेगा ?

इस बिल में शब्द "चाइल्ड" रखा जा रहा है, जबकि पंद्रह वर्ष तक तो बालक युवावस्था को प्राप्त कर लेता है । यहां पर शब्द "बेबी" या "इन्फैंट" नहीं रखा गया है । तो शब्द तो आप "चाइल्ड" को रख रहे हैं और उस की अवस्था रख रहे हैं १५ वर्ष । इस अवस्था में वह कौमार को पार कर रहा होता है और १६ वर्ष का हो कर वह यौवन को प्राप्त करता है । इसी अवस्था में अभिमन्यु आदि का तो विवाह होना बतलाया गया है । आपका कानून समझ में नहीं आता कि इस अवस्था में उसे किस प्रकार एडाप्ट किया जाये । दत्तक ग्रहण के अन्दर सब से मुख्य यही सिद्धान्त विद्यमान था कि कौन पुरुष अपनी जाति और गोत्र के अनुसार किस स्त्री से सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार रखता था । जो पुरुष जिस स्त्री के साथ विवाह कर के उस से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता उस स्त्री के पुत्र को वह कभी भी गोद नहीं ले सकता । यह एक सिद्धान्त था । यहां आप ने उन समस्त नियमों को तोड़ कर के इस कानून को हिन्दू कानून का नाम दे दिया है । और हिन्दू का लक्षण क्या है वह स्वयं उन की समझ में ही नहीं आता है । अन्ततोगत्वा जो भी अदालत के सामने अपने को हिन्दू कह देगा वही हिन्दू माना जायेगा, वह एडाप्ट भी किया जा सकेगा और एडाप्ट भी कर सकेगा । ऐसी परिस्थिति में जाति की रक्षा कौन करेगा यह नारायण ही जाने ।

धारा १३ में यह दिया हुआ है :

"Subject to any agreement to the contrary, an adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her property by transfer *inter vivos* or by will."

मेरी तो समझ में नहीं आया कि फिर एडाप्शन की आवश्यकता ही क्या रह गई । इस में तो मैं देखता हूं कि एडाप्शन के परपज को ही नष्ट कर देने वाली एक धारा विद्यमान है । जब मेरे पीछे मेरा कौन उत्तराधिकारी होगा इस का कोई सवाल नहीं है तो फिर एडाप्शन का क्या अर्थ रह गया । आप कहते हैं कि उस के नेचुरल अर्ज के कारण हम एडाप्शन का नियम बनाते हैं । आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि मेरे बाद मेरी संतान मेरी सम्पत्ति की मालिक हो । लेकिन अगर कोई दत्तक ग्रहण करने के बाद अपनी सम्पत्ति को किसी और के नाम

कर दे, तो वह एडाप्टेड चाइल्ड किस की जान को बैठा रोया करेगा । मिताक्षरा के जन्मसिद्ध अधिकार को उन्हों ने नष्ट कर दिया । आज जो एडाप्टेड पुत्र या पुत्री हो उस के अधिकार को भी नष्ट कर रहे हैं । पिंड दान आदि उन को अभीष्ट नहीं हैं, न उन को तर्पण आदि अभीष्ट हैं । पिंड किसी नियम के अनुसार ही मिलता है । श्रीमद्भगवद्गीता स्पष्ट बताती है :

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य
यच, पतन्ति पितरोह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रियाः ।

जहां वर्णसंकर संतान होती है उस का किया हुआ पिंड अथवा तर्पण माता पिता को नहीं मिल सकता और वे नर्क के भागी होते हैं । लेकिन पाटस्कर जी के सिद्धान्त में परलोक का सम्बन्ध नहीं है । हमारे यहां कहा है : "पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः" ।

An Hon. Member: You should address the Chair.

Mr. Deputy-Speaker: At least on this occasion allow him to address somebody else!

Shri Pataskar: I must undertake the liability to visit any place.

Shri Nand Lal Sharma: With due deference, I have not addressed any person except your good self.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, yes. I accept that.

Shri Nand Lal Sharma: And through you I have been addressing the House and to some extent the Minister in charge.

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्हों ने पुत्र शब्द का एटोमालीजीकल अर्थ ही नष्ट कर दिया । जो पुन् नाम नर्क से अपने माता पिता को बचाता है वह पुत्र कहा जाता है । बाकी बच्चे तो गधे, कुत्ते आदि सब के ही होते हैं । जो व्यक्ति परलोक का ध्यान रख कर पुत्र उत्पन्न करता है उसी सन्तान को पुत्र कहा जा सकता है । यदि किसी पुरुष को अपने शरीर द्वारा इस प्रकार के औरस पुत्र की प्राप्ति न हो सके, उस को नर्क से बचाने के लिये और उस का परलोक सुधारने के लिये दत्तक का विधान शास्त्रकारों ने रखा था । उस दत्तक का उद्देश्य हमारे मंत्री जी की दृष्टि में बहुत नहीं है और वह समझते हैं कि हमें यह सब यूनिफार्मिटी लाने के लिये करना है । लेकिन मैं कहता हूं कि आप ने यूनीफार्मिटी तो पहले ही नष्ट कर डाली । आप ने इस कानून को जम्मू और काश्मीर तक बढ़ाया नहीं । आखिर वहां भी हिन्दू रहते हैं और वे उतने ही हिन्दू हैं जितने कि यहां रहने वाले हिन्दू । दुर्भाग्य से कुछ हिन्दू आज भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे हैं । कुछ हिन्दू सैकड़ों वर्ष से अफगानिस्तान में रहते चले आ रहे हैं । उन सब के लिये आप ने इस कानून को लागू नहीं किया । यह पाटस्कर स्मृति केवल हिन्दुस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर ही लागू की जायेगी । इस प्रकार आप की यूनीफार्मिटी भी नष्ट हो गई और आप का उद्देश्य भी समझ में नहीं आता । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह धारा १३ अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती और न किसी प्रकार का आगे का कृत्य सिद्ध करती है ।

इसी प्रकार धारा १४ में लिखा है कि एक अविवाहिता लड़की अथवा विडो एडाप्ट कर ले, और उस के बाद यदि उस का विवाह हो जाये तो वह जो नया बाप होगा वह भी उस लड़के या लड़की का भी बाप होगा जिस को कि गोद लिया गया है । यह चीज़ विचित्र सी मालूम देती है । मान लीजिये कि किसी अविवाहिता लड़की ने गोद लिया पर उस ने आगे अपना विवाह नहीं किया, तो फिर वह लड़का या लड़की बिना बाप के ही रहेगी । यानी संसार में एक नई पद्धति चलेगी, श्री पाटस्कर स्मृति द्वारा, कि केवल

[श्री नंद लाल शर्मा]

माता के द्वारा अथवा केवल पिता के द्वारा पुत्र अथवा पुत्री पैदा होगी । ऐसे लड़के लड़की होंगे कि जिन का कोई बाप नहीं होगा, अथवा जिन की कोई मां नहीं होगी । इस प्रकार की संतानें हम को इस कानून के द्वारा प्राप्त होंगी । मुझे यह देख कर बड़ा खेद होता है । हमारे यहां दत्तक का यह सिद्धान्त था कि यदि कोई पुरुष एडाप्ट करता था तो वह यह देखता था कि उस स्त्री की सन्तान को गोद ले जिस के सन्तान उत्पन्न करने में उस को पाप न लगता हो । ऐसी स्त्री के पुत्र को वह लेता था, और उस पुत्र को वह स्त्री अपने पति द्वारा प्राप्त करती थी । इस प्रकार उस का पतिव्रत भी भंग नहीं माना जाता था । यदि कोई विधवा स्त्री एक लड़का गोद लेती है और बाद में वह विवाह कर लेती है तो पाटस्कर जी के अनुसार उस के दो बाप हो जायेंगे । इस प्रकार के परिवर्तन कर के हिन्दू ला में श्री पाटस्कर जी ने ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया है कि जिस को यह महानुभाव स्वयं भी नहीं समझ रहे हैं । यह कानून हिन्दू जाति पर थोपा जायेगा और फिर चार दिन बाद ही यह इस के अमेंडमेंट के लिये आवेंगे और कहेंगे कि इस ला से हमारा काम नहीं चलता । किन्तु इस के पूर्व हमारा शास्त्रीय कानून लाखों वर्षों से चला आ रहा है । उस में अभी तक कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी । लेकिन आप जो कानून बनाते हैं उस में क्षणे क्षणे पदे पदे आप संशोधन लाते हैं ।

अब मैं दत्तक के प्रकरण को छोड़ता हूं और भरणाधिकार यानी मेनटिनेन्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं केवल इतना फिर कह देना चाहता हूं कि दशरथ का नाम ले कर और शान्ता का नाम ले कर हिन्दू जाति के इतिहास के साथ उपहास किया जाता है और हिन्दू जाति के इतिहास को न जानने का अपना प्रमाण दिया जाता है । यदि यह सिद्ध किया जा सके कि शान्ता को किसी प्रकार का उत्तराधिकार महाराज रोमपाद की सम्पत्ति में मिला तब हम कह सकते हैं कि शान्ता महाराज रोमपाद की दत्तक थी । वह तो केवल स्नेह वश हो कर अपने मित्र को कन्या देना था और महाराज दशरथ और महाराज रोमपाद की एक ही अवस्था है । इस के अतिरिक्त महाराज दशरथ को हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार जिसे आप इंटरप्रेट करने की चेष्टा कर रहे हैं उन को आप के ही सिद्धान्त से दत्तक देने का अधिकार नहीं था क्योंकि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और जिस व्यक्ति की अपनी कोई संतान नहीं वह अपने कुल का नाश कर के दत्तक नहीं दे सकता और वहां पर तो दत्तक देने का प्रश्न ही नहीं था । इसलिये शान्ता का उदाहरण हमारे सामने उपस्थित नहीं होता ।

भरणाधिकार के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मैं आप को आज्ञा से दो शब्द कह देना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं हिन्दू धर्म शास्त्र के नाम पर तो अपील नहीं करूंगा यद्यपि हमारा जीवन और हिन्दू जाति का जीवन हिन्दू धर्म शास्त्र पर निर्भर है । मैं उस को इस समय छोड़ता हूं । केवल हिन्दू परिवार का सर्वनाश करने के लिये यह आप की धारायें चली हैं ऐसा मैं समझता हूं । धारा १८ के अन्दर एक स्त्री को अपने पति से अलग रह कर उस से भरणाधिकार प्राप्त कर का अधिकार दिया गया है और उस में यह कारण बतलाये हैं

'desertion cruelty, virulent form of leprosy, second wife, concubine or conversion.'

और आगे लिखा है

'any other cause justifying her living separately'.

अब यह "ऐनी अदर काज" अंधेरखाते में छोड़ देता है और उस के मातहत किसी

भी प्रीटैक्स्ट बहाने पर पत्नी अपने पति का परित्याग कर सकती है । पत्नी कह सकती है कि उसे पति की मूंछ गढ़ती है अथवा कि उस का पति रात को स्नोर करता है रात को खुर्राटे लेता है, इसलिये मैं इस के साथ नहीं रह सकती, मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं कल मर जाऊंगी और इस तरह सैप्रेट लिविंग के लिये यह एनी अदर काज अच्छा कवर है और इसलिये यह शब्द "एनी अदर काज" मेरी समझ में नहीं आये । इसी तरह क्रुएलिटी और डैजरशन और ऐसे कितने ही कारण बनाये जा सकते हैं जो हिन्दू परिवार के जीवन को नर्क बना देंगे । हमारे यहां तो याज्ञवलक्य महाराज ने भरणाधिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है :

"आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् ।
त्यजन्दाप्यस्तृत्तीयांशमशक्तोभरणं स्त्रियः ।।"

जो स्त्री पति की आज्ञा में रहने वाली है, जो दक्ष है जो पुत्र को जनने वाली है, प्रियवादिनी है, जो पुरुष स्वार्थवश आ कर ऐसी स्त्री का अधिवेदन करता है, राजा को चाहिये कि वह ऐसे पुरुष को दंड दे कर उस की सम्पत्ति का तीसरा भाग छीन कर उस स्त्री को दे दे और यदि वह ऐसा नहीं करता या उस के पास इस के लिये शक्ति नहीं है तो भरणाधिकार स्त्री को देना चाहिये, मेंनेटेन्स उस स्त्री को देना चाहिये । आप यहां हिन्दू परिवार में इस तरह के नाश के बीज बो कर समझते हैं कि हिन्दू जाति के कल्याण के लिये और यूनिफ़ार्मिटी के लिये आप यह सा बना रहे हैं ?

इसी तरह मुझे इस १८वीं धारा की उपधारा ३ की भाषा समझ में नहीं आई और मैं चाहूंगा कि विधि कार्य मंत्री महोदय उस का स्पष्टीकरण करें । उस में इस प्रकार लिखा हुआ है :

18 (3) A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceases to be a Hindu by conversion to another religion.

मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय इस पर ध्यान दें कि कितनी अशुद्ध यह भाषा है

'If she is converted to any other religion or if she is of an unchaste character, then she will not be entitled to separate residence'.

यह कहा जा सकता था कि She will not be entitled to maintenance परन्तु सेप्रेट रेजिडेंस और सेप्रेटलिविंग उस की है जिसने कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया अथवा या जो अपवित्र चरित्र की है उस को पति अपने पास कैसे रख लेगा यह समझ में नहीं आया और उस भाषा से इस का स्पष्टीकरण नहीं होता ।

इसी प्रकार से क्लाज २० में एजेड और इनफ़र्म पेरेंट्स के सम्बन्ध में मैं ने कई बार निवेदन किया और मुझे बड़ा खेद होता है कि आज जिन के कि हाथ में हमारी बागडोर है, जो हमारे भाग्य विधाता लोग हैं, वे हिन्दू जाति के जीवन अथवा विशेष कर के उत्तर भारत में हिन्दू जाति के जीवन से सर्वथा अपरिचित हैं । यह समझ में नहीं आया कि इस का क्या कारण है कि एक विवाहिता कन्या जिस का कि अपने हाथ से उस के पिता माता अथवा उस का बड़ा भाई या काका दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं, उस कन्या के घर का जल पीना भी हमारे यहां पाप समझा जाता है, उस के गांव में पानी नहीं पीते हैं, उस कन्या के घर का अन्न नहीं खाते, उस के लिये कहा जाता है कि उस कन्या के घर में से अगर उस के माता पिता वृद्ध अथवा इनफ़र्म हों तो उस कन्या की आय में से उन का भरण पोषण हो सकता है, यह हिन्दू जाति के साथ कैसा उपहास किया जा रहा है । मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसा

(श्री नंद लाल शर्मा)

करना हिन्दू परम्परा, हिन्दू सदाचार और हिन्दू शास्त्रों से सर्वथा अनभिज्ञता का परिचय देना है। वह वस्तु जिस को कि एक बार अपने हाथ से दान कर दिया वही दान की वस्तु मैं खाने बैठ जाऊं, यह कितना अवांछनीय है और ऐसा उस हिन्दू जाति से कराने का विचार रखना जिस हिन्दू जाति के सामने राजर्षि नृग का इतिहास विद्यमान है जिन्हों ने कि अपनी एक गऊ एक ब्राह्मण को दान कर दी थी और दुबारा वही गऊ दूसरे व्यक्ति को भूल से दान कर दी और इतिहास साक्षी है कि इस ग़लती के कारण उन को कितना दुःख भोगना पड़ा था, सरासर हिन्दू जाति के साथ उपहास करना है और ऐसा रख कर हिन्दू ला के साथ अंधेरगर्दी की जा रही है।

इसी प्रकार से अब मैं दो शब्द और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा और उस को बहुत बढ़ाऊंगा नहीं। लैजिटिमेट चाइल्ड के सम्बन्ध में जो यह कहा है कि He will also be a charge on the parents मैं समझता हूं कि मनु का कोटेशन इंग्लिश ट्रान्सलेशन में दिया था और मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं होती कि आप मनु को कोट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप के लिये मनुस्मृति, दत्तक चंद्रिका और दत्तक मीमांसा के सम्बन्ध में कुछ कहना और उन में से स्क्रिपचर्स कोट करना डेनियल कम टु जजमेंट के समान होगा क्योंकि वे महानुभाव इन स्क्रिपचर्स पर पांव रख कर उन का सर्वथा नाश करने को उद्यत रहते हैं। मैं उन की बात को समझ सकता था यदि वे मनु को कोट करते हुए यह भी कह डालते कि मैं मनु को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि मनु का हास्य हो रहा है और मनु की कोई पर्वाह नहीं की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इतने लोग हैं जो मनु को नहीं मानते। They are not governed by Hindu shastras. मैं पूछता हूं कि हिन्दू ला किस के लिये होगा, यह मुझ को समझ में नहीं आया।

इस के साथ साथ धारा २७ जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है :

> "A dependant's claim for maintenance under this Act shall not be a charge on the estate of the deceased or any portion thereof, unless one has been created by the will of the deceased, by a decree of court, by agreement between the dependant and the owner of the estate of portion, or otherwise."

मैं समझता हूं कि जितना परिश्रम श्री पाटस्कर ने पिछली धाराओं में आश्रितों के भरण पोषण के लिये ला बनाने में किया, वह सब इस एक धारा के द्वारा ले लिया। अगर किसी का भरण पोषण, किसी की संतान का भरण पोषण, मेरे द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा होना चाहिये और वह व्यक्ति मर गया और सम्पत्ति के ऊपर भरण पोषण का चार्ज है नहीं तो बच्चे कहां जायेंगे, उन की क्या दुर्दशा होगी अन्त में, वह कहां से खायेंगे, मैं समझता हूं कि इस बिल से जितने भी बेनिफिट दिये हुए हैं वह हट जायेंगे।

इन सब वस्तुओं को देखने के बाद मुझे तो जरा भी आशा नहीं होती कि इस बिल के द्वारा हिन्दू जाति का कोई भी कल्याण होने वाला है। और मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा, पहले तो न्याय मंत्री महोदय से कि इस विधेयक को लौटा लेवें, और नहीं तो सदन से कि कम से कम हिन्दू जाति पर कृपा करें। मैं कह सकता हूं कि आप की कमेटी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिन्दू शास्त्र के पक्ष में बोलने वाला हो। आप केवल एक पक्ष के ही लोगों को लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं ने मिनिट्स आफ डिसेंट में देखा कि यह सनातनियों को

मारने के लिये किया गया । मैं पूछता हूं कि जिस पक्ष को आप ने मारने की चेष्टा की, Have you given the accused any benefit of doubt आप के मन में हिन्दू शास्त्रों के प्रति जो शंका है उस को हटाने का कोई अवसर आप ने सनातनियों को दिया ? मैं समझता हूं कि आप अपने घर में बैठ कर सदन में मतदाताओं के बल पर बहुमत से इस चीज को हिन्दू जाति पर थोपना चाहते हैं, यह अन्याय है । मैं चाहता हूं कि भगवान आप को सुबुद्धि दे और आप इस को लौटा लें । अगर आप नहीं लौटाते तो मेरा विश्वास है कि भले ही यह हिन्दू शास्त्रों पर आघात हो, आप हमारे खून का भी टैक्स ले सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे कि साढ़े नौ लाख वर्ष बीतने पर भी हम रावण का पुतला प्रतिवर्ष जलाते हैं, खून का टैक्स दे कर भी हम आज तक साढ़े नौ लाख वर्ष के बाद भी हर साल रावण से बदला लेते हैं, यदि आप ने हिन्दू जाति पर इस प्रकार से आघात किया तो हिन्दू जाति अवश्य ही इस का प्रतिफल देगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के विरुद्ध श्री नंद लाल शर्मा ने जो कुछ कहा वह बड़े जोर के अल्फाज में कहा और शास्त्र का प्रमाण दे कर और शास्त्र की रू से कहा । मैं तो शास्त्रों से वाकिफ नहीं हूं और मैं भी उसी किस्म के ख्यालात रखने वाला हूं जैसे कि आनरेबल मिनिस्टर साहब और दूसरे साहब रखते हैं । लेकिन मैं भी इस बिल के अन्दर ऐसी चीजें देख रहा हूं जिन की मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी और मैं हैरान हूं कि किस तरह से राज्य सभा ने ऐसा बिल पास कर दिया ।

इस बिल के दो हिस्से हैं, एक तो मेन्टेनेन्स से ताल्लुक रखता है और दूसरा एडाप्शन से । मेंटेनेंस के बारे में कि उस में क्या नुक्स हैं मैं आखिर में जिक्र करूंगा । पहले मैं कुछ बातें एडाप्शन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । आज हिन्दुस्तान में जो एडाप्शन रायज है वह कई तरह का है । आम तौर पर हिंदू ला के मुताबिक या तो दत्तक प्रथा है या कृत्रिम तरह का है, या इन दोनों को छोड़ कर, खास तौर पर पंजाब के अन्दर, ऐप्वाइंटमेंट आफ ऐन एअर है । जिस वक्त हम ने अपना संविधान बनाया, उस वक्त उस में एक दफा रक्खी थी कि हम सारे देश के वास्ते एक यूनिफार्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करेंगे, और यह एक निहायत मुबारक ख्याल था । मैं जानता हूं कि जहां तक सब बिरादरियों का सवाल है, हिन्दुस्तान में कुछ भी हुआ हो सब ने एक दूसरे का असर लिया । हिन्दू ला पर क्रिश्चियन ला का, क्रिश्चियन ला पर मुसलिम ला का और मुसलिम लाल पर हमारा बेहद असर पड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता हम यूनिफार्मिटी की तरफ बढ़ रहे हैं । आज बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम पर असर कर के हम को यूनिफार्मिटी की तरफ ले चल रही हैं । हिन्दुओं में जो शास्त्रों की इजाजत थी कि एक से ज्यादा बीवियां हो सकती हैं, उस को हम ने बन्द कर दिया, हम ने इसाइयों के अन्दर जो मोनागामी जायज थी उस उसूल को माना । हमें अपने कानून में यह कमी नजर आती थी कि लड़की को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, उस के लिये मुसलमानों की शरियत के असूल के मुताबिक तब्दीली कर के लड़की को जायदाद में हिस्सा देना शुरू किया । गो हम ने हर एक चीज की नकल नहीं की, लेकिन जो चीज हम को बहतरी की मालूम हुई देश के वास्ते, उस को लेने में हम ने परहैज नहीं किया । इसी तरह से मैं जानता हूं कि क्रिश्चियन ला में और मुसलिम ला में हिन्दू ला का बेहद असर आया । लेकिन चूंकि वह इस वक्त जर्मेन नहीं है इस वास्ते मैं उसका जिक्र नहीं करता । तो हमारी कोशिश यह थी कि हम किसी तरह से एक सिविल कोड की तरफ बढ़ें । जिस वक्त जनाब के रूबरू गार्जियनशिप बिल आया था उस वक्त मैं ने अर्ज किया था कि हम बड़ी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सख्त गलती कर रहे हैं कि हिन्दू गार्जियनशिप एक्ट बना रहे हैं क्योंकि इस से हम एक ऐसी शक्ल बनाने जा रहे थे जिस से कि हम यूनिफार्म सिविल कोड से दूर चले जा रहे थे। आज फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप लोगों से और श्री पाटस्कर साहब से कि वह इस चैनेल का मुंह दूसरी तरफ करें। आज पंजाब के अन्दर है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब कौमों के अन्दर ऐप्वाइंटमेंट आफ एग्रर का कानून है, जो लोग आज तक इस को नहीं मानते थे, वह आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रुजू हो रहे हैं। मुसलिम ला में एकनोलिजमेन्ट आफ ए सन होता है, वह भी मैं समझता हूं इस ऐडाप्शन के एकिन है। हम हर रोज देखते हैं कि चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हों, जब कोई शख्स किसी लड़के या लड़की को गोद ले लेता है और अपने बच्चे के बराबर समझता है तो अगर और कुछ नहीं तो जो अख्तियार कानून की रू से पहुंचता है वह उस लड़के के हक में जरूर मान लेता है : इस बिल में जो सब से बड़ी बात है वह यह है कि जो गोद लेने वाला है उसको पाटस्कर साहब ने अधिकार दिया है कि वह गोद ले या न ले। यह इस लिए ज्यादा नहीं अखरेगा कि यह एक एनेबलिंग ला है। लड़की या लड़के को गोद लेना लाजमी नहीं है।

यहां पर जो डिस्क्रीजल जायदाद का राइट है वह एक ऐसा राइट है कि चाहे वह हिन्दू ला को माने या न माने वह कर सकता है, अगर हम इस बिल की भी ऐसा liberal अख्तियारी कर देते तो कुछ अर्से बाद हम कह सकते थे कि हिन्दू ऐडाप्शन ला में जो रिलीजिआसिटी है वह हम ने निकाल दिया हम ने उस को सेकुलर बना दिया कि हर एक शख्स को अख्तियार है कि वह किसी लड़के या लड़की को गोद ले या न ले बजाय इस के कि हम इस को सिर्फ हिन्दुओं के लिये बनाते। हम ने फिर यह गलती की है कि यह एक्स्क्लूसिव ला हिन्दुओं के वास्ते बना रहे हैं। जब हम ने दूसरे मजहबों की अच्छाइयों को अपने में ऐसिमिलेट कर लिया तो कोई वजह नहीं थी कि इस के अन्दर हम ऐसा न कर सकते। मैं जानता हूं के ऐडाप्शन ऐप्वाइंटमेंट आफ ऐन एग्रर भी है और रिलिजस सैक्रमेंट भी है। मैं जानता हूं कि यह चीज आज हिन्दुओं के लिये ही बन रही है, लेकिन इस के अन्दर जो डामिनेटिंग फीचर है वह सेकुलर है। लोग क्यों गोद लेते हैं इस के कई कारण और अगर हम देखें तो पुरानी से पुरानी पुस्तकों में इस के कथायद दिये हुए हैं जिन के मुताबिक गोद लिया जाता था। अगर हम सारी हिस्ट्री को देखेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि गोद का जो प्राइमरी आईडिया है वह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, सब कोमों के अन्दर है। मैं जनाब की तवज्जह रोमन ला की तरफ दिलाता हूं, जिस तरह हम ऐप्वाइन्टमेंट आफ एन ऐग्रर करते हैं उसी तरह रोमन ला में भी यह हुआ करता था कि किसी शख्स को वारिस करार दे देते थे। अब जिस तरह का यह ला बन रहा है उसमें नामिनीज हेरिडिटिया का कायदा नहीं है। इस के अन्दर साफ कह दिया गया कि किसी को गोद लिया जा सकता है। अभी शर्मा जी ने भी कहा कि हिन्दू ला में दत्तक होम होता था। इस में पहले रिलिजिआसिटी नहीं थी, यह बिल्कुल सेकुलर लाइन्स पर होता था। शर्मा जी ने बताया कि इस को बनाना रिलिजस प्वाइंट आफ व्यू से ठीक नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मामूली कैनन्स आफ ला से, हमारे जो जिन्दगी के प्रिंसिपल्स हैं उन की रू से इस का कानून बनाना और इस शक्ल में बनाना जायज नहीं था। आप को चाहिये था कि आप थोड़ा अर्सा और ठहर जाते और एक सा कानून सब के लिये बनाते।

अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हम गोद लेते हैं। जैसा पंडित नंद लाल शर्मा ने फरमाया किसी जमाने में ऐसा वक्त आ गया जिस में

हिन्दुओं के अन्दर एक लड़के का होना बिल्कुल जरूरी ख्याल किया गया । पिंड देने वाला लड़का होना चाहिये । अगर नर्क से बचाता है तो पुत्र ही ।

इस तरह के ख्यालात हिन्दुओं के अन्दर आये और इतना ही नहीं, इस से भी ज्यादा ख्यालात आये । आप मनुस्मृति को पढ़ें । उस के अन्दर हर एक आदमी पर, मैरीड आदमी पर यह लाजिम था कि वह बच्चे पैदा करे और बच्चे पैदा करने के जितने भी मौके आयें, उन का पूरा पूरा फायदा उठाये । अगर वह ऐसा नहीं करता था तो वह भ्रूण हत्या का दोषी होता था और उस को प्रायश्चित करना पड़ता था । फ्रांस में एक कानून पास हुआ था कि जो तीन बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा, उस को सजा दी जायेगी । जापान ने भी एक कानून पास किया था जिस में सजा देने की व्यवस्था थी । आज हिन्दुस्तान में भी फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ज्यादा औलाद नहीं होनी चाहिये । आप देखिये कि शास्त्रों में क्या लिखा है । शास्त्रों में लिखा है कि दस बच्चे होने चाहियें और एक उस का खाविन्द होना चाहिये और इस तरह से पूरी क्रिकेट की टीम हो जाये । इस तरह से ज्यादा औलाद पैदा करना हर आदमी का फर्ज होता था ; जब हिन्दुस्तान में थोड़े आदमी थे तो यह चीज थी । साथ ही साथ अगर किसी आदमी के लड़कियांही लड़कियां होती थीं और लड़का नहीं होता था तो उस को बुरी निगाह से देखा जाता था । इसी तरह से उस आदमी को जिस के कोई औलाद नहीं होती थी बुरी निगाह से देखा जाता था । लेकिन आज ऐसा ख्याल देश में नहीं है ; आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैमिली की कोई परवाह नहीं करते हैं और जो बिना बच्चे के ही रहना पसन्द करते हैं । आज बहुत से लोग बिना शादी ही कराये रहना चाहते हैं । ऐसी सूरत में आज पुरानी चीज को नये सिरे से लाना कि बच्चे होना ठीक है, कहां तक वाजिब है, यह मैं आप से पूछता हूं । यह किसी भी हालत में वाजिब नहीं है । हमें जमाने की रफ्तार को देखते हुए ही कानून बनाने चाहियें । आज हम इंडिविड्यु आलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अम्बेदकर साहब ने जब हिन्दू कोड बिल को यहां हाउस में पेश किया था जो कि मेरे पास है, कहीं कहा था कि लड़कियों को भी गोद लिया जा सकेगा । ऐसी सूरत में लड़की का गोद लिया जाना किस के इंटरेस्ट में है । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि दशरथ ने क्या किया और क्या नहीं किया । आप ने मौनोगेमी को जारी कर दिया । खैर इस झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता । हमारे सामने दो ही मिसालें मौजूद हैं एक दशरथ की और दूसरी कुन्ती की । लेकिन हमें मालूम नहीं कि किन हालात में वहां पर गोद लिया गया । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि न हिन्दू धर्म में इस बात की इजाजत है और न ही मुस्लिम धर्म में कि लड़की को गोद लिया जाये, तो आप यह क्यों कर रहे हैं । आप यहां पर दशरथ की याद दिलाते हैं । लेकिन मैं इस के मुकाबिले में आप के सामने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की हाई कोर्टों की रूलिंग्ज कोट कर सकता हूं जिन में उन्हों ने कहा कि लड़की को गोद नहीं लिया जा सकता है । आप शास्त्रों पर जाना नहीं चाहते और न आप यह चाहते हैं कि लोग दशरथ की तरह से तीन तीन शादियां करें तो फिर यह लड़की को गोद लेने की एक नई ही चीज आप क्यों पैदा करना चाहते हैं ।

जिस वक्त हिन्दू लाज के कोडिफिकेशन का जिक्र हुआ था उस वक्त डा० अम्बेडकर ने बताया था कि हम हिन्दू समाज में कोई ऐसी तबदीली करना नहीं चाहते जो एक फंडेमेंटल नेचर की हो, हम तो सिर्फ हिन्दू ला को कोडिफाई करना चाहते हैं । उस वक्त कोडिफिकेशन का नाम लिया गया था । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो तबदीली आप करने जा रहे हैं क्या यह फंडेमेंटल तबदीली नहीं है । लड़कियों को गोद लेने के बारे में कानून बनाने के लिये आप को किस ने कहा है और किस के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इंटरेस्ट में यह है। इस चीज की कतई जरूरत नहीं थी और मैं इस की एक बिल्कुल रेट्रोग्रेड स्टेप मानता हूं।

लोग लड़के को गोद इसलिये लेते थे ताकि खानदान जारी रह सके। अब आप लड़की को गोद लेने की व्यवस्था करना चाहते हैं खानदान को जारी रखने के लिये। इस का क्या नतीजा होगा। गिविंग एंड टेकिंग के क्या माने हैं। अगर किसी को लड़की के साथ मुहब्बत है तो उसे पूरा अख्त्यार है कि वह उस को लड़की की तरह माने और उस के साथ लड़की की तरह मुहब्बत करे। लेकिन आप यहां पर यह करना चाहते हैं कि १५ बरस की लड़की का भी गिव एंड टेक हो सकता है, इस से कितनी दिक्कत पैदा होगी यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब में किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक आदमी किसी उम्र के बच्चे को चाहे वह मैरीड हो या अनमैरीड अपना हेयर मुकर्रर कर सकता है और वह उस को उसी तरह से रखता है जिस तरह से कि वह अपने बच्चों को रखता हो। अगर वह एक लड़के को एडाप्ट करता है तो वह उस से यह उम्मीद करता है कि वह बुढ़ापे में उस की इमदाद करेगा और उस के मरने के बाद उस का श्राद्ध करेगा। अब कोई मदद करता है या नहीं करता है और कोई श्राद्ध करता है या नहीं करता है, इस को आप सब जानते हैं। श्राद्ध तो अब बन्द होते जा रहे हैं। हम में से कौन कह सकता है कि हमारे लड़के हमारा श्राद्ध करेंगे। लोग गोद इसलिये भी लेते हैं कि उनका नाम रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह परपज भी सर्व हो सकता है अगर लड़की को गोद लिया जाय? तो आप यह नई चीज ला रहे हैं। इस चीज का आज तक कहीं भी जिक्र नहीं आया और आज आप इस को ला रहे हैं। एक क्लास है जिस के अन्दर लड़की को गोद लेना जायज है। रंडियां लड़की को गोद लेती हैं ताकि उन का काम और जायदाद ट्रांसफर हो सके। अगर आप उस को बन्द करते तो सारा हाउस आप के साथ होता।

श्री पाटस्कर: यह कैसे मालूम है कि हाउस हमारे साथ होता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: आप ने अभी चन्द रोज हुए प्रास्टीट्यूट्स के मुताल्लिक एक कानून पास किया है। उस कानून के प्रिंसिपल्स को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि लोग इस के खिलाफ होते कि रंडियों को भी इजाजत मिल जाये कि वे लड़कियों को गोद ले लें। आप ने अनमैरीड गर्ल्स को, विडोर्स को बैचलर्स को और हर आदमी को इसका अख्त्यार दिया है कि वह लड़की को गोद ले ले। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वह दूसरे घर में चली जाती है और फिर फार आल प्रैक्टिकल परपजिज उसी घर की हो जाती है और उस घर की एक नेकलस बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाती है। यहां पर पाटस्कर साहब एक ट्रांसफर को काफी नहीं समझते हैं। वह उस को फिर किसी घर में ट्रांसफर करने के हक में हैं। आप ने आदमी और औरत के हकूक एक रखे हैं लेकिन आप ने यह नहीं देखा कि उन की कंडीशंज लाइफ में बहुत मुखतलिफ हैं। जब एक लड़की शादी के बाद दूसरी फैमिली में चली जाती है तो गोद के वक्त वह किसी और दूसरी फैमिली में कैसे ट्रासफर होगी, यह मेरी समझ में नहीं आया है। वह उस घर से ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो यह जो लड़कयों की ट्रांसफर का रूल है, इस को अगर आप गोद के फिक्शन से कहीं दूर रखते तो अच्छा होता तो इस चीज की मांग देश में नहीं है और इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। यह ठीक है कि कौंस्टीट्यूशन में आप ने औरतों और मरदों को इक्वल राइट्स दिये हैं जिस का नतीजा यह हुआ है कि दे हैव रन एमक्क। जहां तक अपर इंडिया की बात है इस के जो नतायज हैं और इस के जो कंसक्वेंसिस हैं वे निहायत ही खराब निकलेंगे।

अब आप लड़की के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वह अपने मां बाप के गुजर के वास्ते जिम्मेदार हो। यह इक्वैलिटी आफ ह्यूमन राइट्स का लाजिकल कनकल्यूशन है। जहां तक अपर इंडिया का ताल्लुक है यह निहायत रिपलसिव है। कोई भी मां बाप लड़कियों के खानदान वालों से कभी भी यह उम्मीद नहीं करते हैं कि लड़की उन का पालन पोषण करे। यह मैं ने आप को मिसाल के तौर पर एक चीज बतलाई है।

अब जनाबेवाला अगर आप देखेंगे कि इस कानून के अन्दर और भी जो चीजें लिखी हुई हैं वे भी कुछ कम हैरानुकन नहीं हैं। जब कोडिफिकेशन की बात कही गई तो हमें यह कहा गया कि हम सारे हिन्दुस्तान के लिये एक कानून नाफिज करेंगे ताकि नैशनलिटी का आइडिया पैदा हो। मैं एक अजीब चीज देखता हूं। इस कोडिफिकेशन के अन्दर कस्टम्ज को भी दाखिल कर दिया जाता है। कस्टम्स और यूसेजिस और साथ ही साथ कोडिफिकेशन करना ये दोनों चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। जब मैरेज ला आया था उस वक्त मैं ने बहुत कोशिश की इस बात को मनवाने की कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक ही कानून बने। मैं ने यह चाहा था कि अगर आप डाइवोर्स की प्रोवीजन को रखना चाहते हैं तो रखिये लेकिन वह सारे हिन्दुस्तान के लिए एक सी होनी चाहिये। लेकिन आनरेबिल मिनिस्टर साहब के ऊपर कुछ जोर पड़ा और उन्होंने डाइवोर्स के अन्दर भी कस्टम्स की इजाजत दे दी जो कोडिफिकेशन के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं क्या देखता हूं कि एक बड़ी इम्पार्टेन्ट दफा में यानी दफा ४ में यह कहा गया है कि कस्टम्स वगैरह का को दखल नहीं होगा। लेकिन साथ ही एक दूसरी दफा में, यानी दफा १० में फिर कस्टम और यूसेज की इजाजत दे दी गई है। अगर कोई कस्टम की मौजूदगी साबित कर दे, तो पन्द्रह बरस से बढ़ कर भी और मैरीड लड़के या लड़की को भी गोद लिया या दिया जा सकता है; मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इन दो बातों में यह इजाजत क्यों दी गई है और बाकी में क्यों नहीं दी गई है? आज का ला यह है कि अगर कस्टम साबित हो जाय, तो आरफन को भी गोद लिया जा सकता है जिस की कि मैं अथारिटी पेश कर सकता हूं, लेकिन यहां पर उस की इजाजत नहीं दी गई है। अगर कोई शख्स किसी फाउंडलिंग को पा जाय और उस की परवरिश करे, तो उस को भी गोद लिये गये बच्चे की तरह हकूक होने चाहियें, लेकिन चूंकि फाउंडलिंग को देने वाला कोई नहीं होता है, इसलिये उस को कोई हकूक नहीं होते हैं—कोई अधिकार नहीं होते हैं।

जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि आप ने हिन्दू धर्म की कुछ चीजों को तो ले लिया और बाकी को छोड़ दिया। बेहतर होता कि आप उन सब बातों को ले लेते और कह देते कि जो चाहे जिस को गोद ले ले। इंगलिश ला का एक उसूल है—

"An estate once vested cannot be divested."

और उसी उसूल ने इस बिल को नजर-अन्दाज किया है। मैं यह देखता हूं कि इंगलिश ला के स्लोगन्ज हम को अमूमन इन्साफ करने से मना करते हैं। हिन्दू धर्म शास्त्र के मुताबिक पहले जब एडाप्टिव मदर किसी लड़के को गोद लेती थी, तो उस की जायदाद डाइवेस्ट हो जाती थी और अगर उस का लड़का उस के खाविन्द के मरने के वक्त मौजूद होता, तो उस औरत को जायदाद का हक नहीं होता था। १९३७ के एक्ट के मोताबिक बेवा को और उस के एडाप्टिड सन को जायदाद आधी आधी मिलने का हक दिया गया। लेकिन इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स आज मर जाय और उस की जायदाद बारिसान के पोजेशन में आ जाय, जायदाद वेस्ट हो जाय, तो गोद लेने से कोई असर उस जायदाद पर नहीं पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर प्रापर्टी का एलिमेंट निकाल दिया जाय, तो किसी को गोद लेने या लिये जाने वगैरह की क्या गरज रहेगी। हमारे पाटस्कर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

साहब खुद यह मानते हैं कि इस मामले में रिलिजासिटी का फैक्टर नहीं रहा है। आज हम एक सैकुलर जमाने में से गुजर रहे हैं। अगर जायदाद का हिस्सा निकाल लिया जाय और एडाप्टिड लड़के को जायदाद न मिले, तो कौन गोद लिया जाना चाहेगा और कौन गोद लेना चाहेगा। यह तो मामला ही जायदाद का है, उस को प्रिजर्व करने के लिये ही गोद लिया जाता है। लेकिन जब यह होगा कि एक लड़का गोद ले लिया, उस से नाराजगी हुई, तो एक लड़की और गोद ले ली। इस में यह नहीं लिखा है कि अगर किसी का लड़का होगा, तो वह लड़की गोद नहीं ले सकेगा। अगर असली लड़का मौजूद है लेकिन लड़की नहीं है, तो उस को भी अख्तियार है कि वह लड़की गोद ले ले। जिस तरह किसी जमाने में लड़के का होना जरूरी समझा जाता था और लोग यह ख्याल करते थे कि अगर मैं बगैर औलाद के रह गया, तो मैं नरक में जाऊंगा उसी तरह अब यह कहा जायगा कि अगर किसी की लड़की न हुई, तो.....

श्री पाटस्कर : वह चाहे तो ले लेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में एनेबलिंग क्लाज तो रख दी गई है और एनेबलिंग प्राविजन लोगों के रुझान और जरूरतों को मद्देनजर रख कर ही रखे जाते हैं। इस कानून का मन्शा यह है कि हर एक आदमी लड़के ही की तरह लड़की को भी समझे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में या इस देश में कितने लोग ऐसे हैं, जिन के लड़के हैं और जो फिर भी लड़की को गोद लेने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि कानून बनते हैं लोगों के जीनियस, ख्यालात और डिमांडज के मुताबिक, लेकिन जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, इस की कोई जरूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लोग इस को नहीं चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस देश में बैचोलर या अनमैरीड गर्ल यह चाहते हैं कि उन का बच्चा हो। इस बिल के पीछे जो मैन्टेलिटी है, वह एक गलत मैन्टेलिटी है और वह यह है कि हम लड़के और लड़की को बराबरी का दर्जा देंगे और चूंकि लड़के को गोद लिया जाता है, इसलिये लड़की को भी लिया जाय। लेकिन उस प्रिंसिपल को भी इस बिल में कायम नहीं रखा गया है। अच्छा होता कि यह बिल हमारी पार्लिमेंट की उन लेडीज को खुश कर सकता, जो कि पूरे हकूक चाहती हैं। मैरीड मैन को गोद लेने का अख्तियार है—उस की कैपेसिटी भी है और राइट भी है, लेकिन मैरिड वोमैन को कोई अख्तियार नहीं है। खाविंद की ख्वाहिश को औरत सिर्फ वीटो कर सकती है। यहां औरत-मर्द की बराबरी कहां गई? खाविन्द चाहे, न चाहे विवाहित। औरत को गोद लेने का अख्तियार नहीं है। क्यों नहीं औरत को राइट देते? आप की ईक्वालिटी बिल्कुल गलत है। ईक्वालिटी से इस बिल का कोई वास्ता नहीं है। आप ने यह कहां रखा है कि एक औरत अपने खाविन्द को उसी तरह मेनटेन करने की जिम्मेदार है, जिस तरह कि मर्द है। मैं इस बात के हक में नहीं हूं और मैं औरतों पर यह बार डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यह सवाल उन लोगों से करता हूं, जो कि ईक्वालिटी को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि लड़की को गोद लेने का अधिकार दिया जाय हालांकि ऐसी किसी कस्टम का वजूद नहीं है उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डाटर-इन-ला को मेनटेन करने की जिम्मेदारी फादर-इन-ला के साथ साथ मदर-इन-ला पर क्यों नहीं डालते? मैं ऐसी बीसियों मिसालें इस बिल में ही दे सकता हूं जहां ईक्वालिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि लड़की को गोद लेने की यह नई प्रथा शुरू करने की क्या जरूरत थी। इस के पीछे क्या चीज वर्क कर रही थी? मेरी समझ में तो सिवाय इस के और कोई बात नहीं आती है

है कि हमारे पाटस्कर साहब कांस्टीच्यूशन की ईक्वालिटी से मुताल्लिक दफा को फरोग देना चाहते हैं । हम को तो पता नहीं है, लेकिन शायद बम्बई से उन की खिदमत में कोई डैपुटेशन आये हों, जिन्हों ने कहा हो कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा, तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट में लड़की को कोई हकूक नहीं मिलेंगे । जब आप ने पहले ही यह अख्तियार दिया है कि जो कोई चाहे अपनी विल से अपनी जायदाद किसी को दे सकता है, तो उस के मुताबिक वह लड़की को भी दे सकता है । उस में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है ? इस सिलसिले में मेरा सवाल यह है कि हम पंजाब के लोगों का क्या बनेगा ? मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब यह साफ कर दें कि यह पंजाब के लोगों को एप्लाई नहीं करेगा । इस में लिखा है :—

"No adoption shall be made after the commencement of this Act by or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this Chapter, and any adoption made in contravention of the said provisions shall be void."

मेरा कहना यह है कि इस में से एपायंटमेंट आफ एयर को निकाल दिया जाय । मैं यह समझता हूं कि आप ने उन लोगों पर तो जरूर अहसान किया है, जो कि हजारों बरसों से अपनी कस्टम्ज पर चलते आ रहे हैं । उन को तो आप ने बचा लिया और इस के लिये मैं आप की मुबारकबाद देता हूं ।

एक वक्त था कि जिस का यज्ञोपवीत हो जाय या जो शादीशुदा हो, उस को गोद नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में हिन्दू ला के मुताबिक मैरीड को भी गोद लिया जा सकता था और उम्र की भी कोई बन्दिश नहीं थी । आप इस फिक्शन को पक्का क्यों करना चाहते हैं ? सोसायटी जैसे चलती है, कस्टम जैसे चलते हैं उसको चलने दीजिये, उनको अपना कोर्स लेने दीजिये और इस किस्म की बन्दिशों से आजाद होने दीजिये और उम्र वगैरह की कोई बन्दिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन मालूम होता है कि आप बन्दिशों को पक्का करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि कस्टम्ज वगैरह न बढ़ें और uniformity यकसानियत की तरफ जो कदम बढ़ रहा है वह कस्टम grow ग्रो न करें । इस की जो और दफायें हैं मैं उन में नहीं जाना चाहता । मैं अर्ज करूंगा कि दफा ६ में "कैपेसिटी" और "राइट" का जिक्र आया है । इस "कैपेसिटी" को तो आगे आप ने बढ़ाया है, लेकिन "राइट" को आगे नहीं चलाया है । इसलिये मैं इस लफ्ज "राइट" की कोई जरूरत नहीं समझता ।

16 hrs.

मैं एक छोटी सी अर्ज और करना चाहता हूं जैसा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने भी फरमाया है, कि यह जो गिविंग एंड टेकिंग आफ दी चाइल्ड है इस की कोई खास सेरीमनी तो है नहीं । एक तरह से मिनिस्टर साहब ने इस का सद्बाब भी किया है और कहा है कि अगर कोई एडाप्शन रजिस्टर्ड हो तो गिविंग और टेकिंग का प्रीजम्प्शन माना जायेगा । ऐसा भी होता है कि एक ८० बरस का आदमी एक ४० बरस के आदमी को ऐडाप्ट करता है, तो यह गिविंग और टेकिंग की सैरिमनी नहीं होती । यह चीज तो सिर्फ इसलिये रखी गई है कि अनइम्पीचेबिल एवीडेंस आ सके । आपने इसमें लिखा ही है कि अगर एडाप्शन रजिस्टर्ड होगा तो गिविंग और टेकिंग का प्रीजम्प्शन होगा । अगर आप यही ठीक समझते हैं तो यह रख दीजिये कि कोई एडाप्शन बगैर रजिस्ट्री के न हो सके । ऐसा होने से हम झूठी गवाहियां बनाने से बच जायेंगे । आप ने लिखा है कि गोद में दिया जाये या रखा जाये । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह गैर जरूरी है । यह ठीक है कि देने वाला और लेने वाला मौजूद होना चाहिये । इसी के साथ यह भी होना चाहिये कि जिस बच्चे के मां बाप न हों लेकिन कोई उस बच्चे की मां बाप की तरह परवरिश करे, तो उस के लिये भी यह प्रीजम्प्शन होना चाहिये कि उस ने उस बच्चे को गोद ले लिया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है। आप के कानून की रू से तो आरफन को गोद लिया ही नहीं जा सकता। जिन के मां बाप नहीं हैं उन के लिये तो आप को ऐडाप्शन का प्रावीजन और भी ज्यादा करना चाहिये था।

अब मैं मेन्टीनेन्स की तरफ आता हूं। जहां तक हिन्दू ला का सवाल है, जैसा कि मैं हाउस में कई मर्तबा अर्ज कर चुका हूं, उन में जिन लोगों को वुरसा नहीं दिया जाता उन के लिये एक बहुत खूबसूरत प्रावीजन मेन्टीनेन्स का किया हुआ है। लेकिन जो आप ने कानून रखा है उसमें डिपेंडेंट्स सब खा जायेंगे और वारिसों को कुछ नहीं मिलेगा। इस में मैं आप का ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। डा० अम्बेडकर साहब के हिन्दू कोड में मैरीड डाटर को भी डिपेंडेंट माना गया था लेकिन हमारे पाटसकर साहब ने उस मैरीड डाटर पर क्यों कोप किया है। अनमैरीड डाटर को हक है लेकिन मैरीड डाटर को हक नहीं है। मैं तो समझता था कि आप आदमी और औरत के फर्क को मिटाना चाहते हैं, पर यहां तो आप एक लड़की और दूसरी लड़की में फर्क कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि जो डा० अम्बेडकर ने लिखा था उसे आप रेस्टोर कर दें।

इस के अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ने बेटे और बेटी में बराबरी नहीं रखी है। आप ने रखा है कि बेटे को उसी वक्त तक हक है जब तक कि वह मेजर न हो। लेकिन लड़की चाहे किसी उम्र की हो, उस के लिये आप ने, कोई कैद नहीं रखी है।

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt.-South): Woman is helpless.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे लायक दोस्त के दिल में लड़की के वास्ते बहुत हमदर्दी है इस की मुझे खुशी है। लेकिन अगर आप बराबरी के ख्याल से देखें तो उन के दिल में लड़के के वास्ते वैसी हमदर्दी नहीं है। अगर आप को ईक्वालिटी पर चलना है तो वैसा करिये। हिन्दू ला में यह प्रावीजन था कि जिन को हम सक्सेशन में हिस्सा नहीं देते थे उन को मेन्टीनेन्स देते थे। आप ने सक्सेशन ला को तबदील किया है लेकिन मेन्टेनेन्स ला को हाथ लगाने को तैयार नहीं हैं। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। यह मेन्टेनेन्स का ला सक्सेशन ला के साथ आना चाहिये था ताकि मेम्बर साहिबान समझ सकते थे कि किस दरजे तक तबदीली करनी चाहिये। आप ने इस में रखा है :—

"A legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or mother so long as the child is a minor."

"Subject to the provisions of this section, a Hindu is bound, during his or her life-time to maintain his or her legitimate or illegitimate children and his or her aged or infirm parents".

क्या आप इस कानून से लड़कियों के घरों में मुकद्दमेबाजी ले जाना चाहते हैं। इस कानून से हर घर में सिवा कलह के कुछ और नहीं होगा। आप लड़की पर मां बाप के मेन्टिनेन्स का जिम्मा डालते हैं। उस का खाविंद अपने मां बाप की देख रेख करेगा या अपनी बीवी के मां बाप की। इस चीज को आप छोड़ भी दें कि हमारे यहां कोई मां बाप अपने दामाद के घर पानी भी पीना पसन्द नहीं करेगा, फिर भी आप देखेंगे कि इस तरह के कानून से मुकदमाबाजी ही बढ़ेगी। इस से सारे देश में कलह फैल जायेगा। मुझे मालूम नहीं कि साउथ इंडिया में क्या रिवाज है, लेकिन नार्थ इंडिया में जहां हम ने लड़की को जायदाद में हक नहीं दिया था वहां उस के हक का दूसरी तरह ठीक प्रावीजन किया था। हम ने उन के ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं डाली थी। पर अब आप ने लड़कियों पर भी जिम्मेवारी डाल दी है। आप बिना सोचे समझे हमारे

ला में ऐसी तबदीलियां कर रहे हैं जिन के नतायज को आप ने अच्छी तरह से देखा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य मुख्तसिर करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आप के हुक्म की तामील करता हूं । मुझे मेनटिनेन्स के बारे में कुछ और भी अर्ज करना था लेकिन मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहता कि दूसरे मेम्बरान को वक्त न मिले । इसलिये मैं खत्म करता हूं ।

BUSINESS OF THE HOUSE

Mr. Deputy-Speaker: I have to inform the House that the Speaker, on the advice of the Business Advisory Committee, has allotted 5½ hours for the Supplementary Demands for Grants (General) and the connected Appropriation Bill, and 2½ hours for Supplementary and Excess Demands (Railways) and the connected Appropriation Bills.

In respect of Supplementary Demands for Grants (General) the following time has been allotted to the various groups of Demands:

(i) Ministry of Home Affairs (Demands Nos. 52, 52A, 53, 53A, 54, 57A and 61)	2 hours (with special reference to Demand Nos. 53, 53A and 57A)
(ii) Ministry of Communications (Demands Nos. 9 and 116)	45 minutes (with special reference to Aviation).
(iii) Ministry of Production (Demands Nos. 98 and 138)	1 hour
(iv) Ministry of Natural Resources and Scientific Research) (Demands Nos. 78 and 86)	45 minutes
(v) Ministry of Rehabilitation (Demands Nos. 92, 93 and 94)	1 hour
(vi) Other Supplementary Demands for Grants	

HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE BILL—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: I have got about 12 names with me. We have six hours for this Bill. We started at 2.10. We will be consuming three hours and 50 minutes by 6 O'clock today. May I have an idea as to what should be the time for general discussion and for the clause-by-clause consideration stage respectively?

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt. South): Four hours for general discussion.

Shri Tek Chand (Ambala- Simla): May I submit that in view of the importance of this Bill, perhaps the time deserves to be extended?

Mr. Deputy-Speaker: That is one side of the picture and will be considered later. But, there is another side also. Now that most of the points have been submitted, we ought to place a limit on the speeches. If each hon. Member wants half an hour, we would not be able to accommodate all the Members. So, would it be enough if every Member is given 15 minutes?

Pandit K. C. Sharma: Yes, Sir.

Shri Tek Chand: It may be 20 minutes.

Pandit K. C. Sharma: You may give 15 minutes to me and 20 minutes to Shri Tek Chand.

Mr. Deputy-Speaker: If this is agreed to, I have no objection. Members themselves may confine their remarks to 15 minutes. Shri Lakshmayya.

Shri Lakshmayya (Anantapur): While supporting the Bill, I would like to congratulate the hon. Minister